न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, नोहर (हनुमानगढ़)

(पीठासीन अधिकारी डॉ. गुंजन सोनी आर.ए.एस.)

2/1

अपील सं0 27/2018

1. देवीलाल पुत्र तुलछाराम जाति जाट साकिन सोनड़ी तहसील नोहर।

–

अपीलांट

बनाम्

1. धर्मपाल पुत्र देवीलाल जाति जाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

–रेस्पोडेंटस

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 02.08.2018 प्रार्थना पत्र कमांक 604/2018 बाबत रास्ता खुलवाने हेतु रोकने बाबत।

उपस्थितः– श्री राजपाल झोरड़ अधिवक्ता, अपीलांट

निर्णय **दिनांकः– 16.07.2021**

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार से हैः–

1. अपीलांट की रोही मौज सोनड़ी तहसील नोहर में अपीलान्ट व उसके भाई व बहनों की मुश्तरका खाते की ख0न0 702/2 व 763, व 768 की कुल तादादी 25.506 हैक्ट भूमि जिसके अपीलान्ट व उसके भाई व बहिने खातेदार काश्तकार है।
2. रेस्पो0 स0 1 जो कि अपीलान्ट का पुत्र है तथा उसकी कृषि भूमि खाता स0 14/14 रोही मौजा सोनड़ी तहसील नोहर के ख0न0 787/13 में स्थित है तथा उक्त खसरा न0 में ख0न0 786/1 से 787/15 तक का विभाजन हुआ है जिस पर रेस्पो0 स0 1 के द्वारा दिनांक 20.07.2018 को अपीलान्ट के विरूद्ध एक प्रार्थना पत्र रेस्पो0 के समक्ष इस आशय का प्रस्तुत किया कि रोही मौज सोनड़ी के खाता स0 14/14 में कृषि भूमि है जिसके ख0 न0 787/13 में हमारी भूमि है। तथा हमारी भूमि में आवागमन के लिए ख0न0 786 में से रास्ता है तथा हमारी भूमि खसरा में होने के कारण राजस्व रिकार्ड में कही पर रास्ता का अंकन नहीं है। उक्त खसरा 786 मे करीब 50–60 वर्षो से

अतिरिक्त जिला कलक्टर (हनुमानगढ़)

आवागमन चल रहा है। अब बरसात का मौसम है। अब मैं उक्त रास्ते ख0न0 786 में जाता हूँ तो मेरे पिता अपीलान्ट आवागमन करने से मना कर रहे है। उक्त रास्ता के अलावा कोई आवागमन का रास्ता नहीं है तथा परेशानी का सामना करना पड़ता है। उक्त प्रार्थना पत्र पेश होने के पश्चात दिनांक 02.08.2018 को रेस्पो0 स0 2 के द्वारा पारित किये गये आदेशों को अपास्त करवाने बाबत।

3. अपीलाधीन आदेश कतई गलत व विधि के सिद्धान्तों के विपरित है तथा काबिल खारीज के है।
4. रेस्पो0 स0 1 अपीलांट का पुत्र है तथा उसकी उक्त भूमि है जो की अपनी दर में 50–60 वर्षो से रास्ता का कथन करता है त बवह पैदा नही हुआ था अपीलांट ने उसे उक्त भूमि दान में दी थी। उक्त रकबा पर कभी भी आवागमन ही नही रहा है बावजूद उसके रेस्पो0 स0 2 ने अपीलांट की भूमि में से रास्ता स्वीकृति के आदेश पारित किये है जो कानून गलत व विधि के सिद्धान्तों के विपरित है।
5. रेस्पो0 स0 2 को रास्ता स्वीकृति के अधिकारी ही नहीं है उन्होनें अपने क्षेत्राधिकार से विपरित आदेश पारित किया है जबकि वह कोई न तो पूर्व में कोई रास्ता स्वीकृत था तथा न ही पूर्व में कोई चालु रास्ता था बावजूद इसके अपीलांट व सह काश्तकारों की कृषि भूमि में से रास्ता खुलवाकर कानूनी भूल कारित की है।
6. पटवारी हल्का द्वारा अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है कि निशान रास्ता के पाये गये को ही रेस्पो0 द्वारा आधार मानकर उक्त आदेश पारित किया है जबकि ना तो पटवारी हल्का द्वारा अपीलांट को कोई सूचना दी गयी तथा ना ही मौका पर जाकर देखा गया।
7. रेस्पो0 स0 2 के द्वारा दिनांक 02.08.2018 को आदेश पारित किया गया है तथा रिर्पोट पटवारी हल्का के आधार पर आदेश पारित किया गया है। जबकि मौके पर अपीपान्ट की फसल खड़ी है तथा समस्त भूमि काश्त है ऐसी सूरत में रास्ता के आवागमन होना कतई गलत तौर पर अंकित किये गये है। पटवारी हल्का द्वारा दी गई रिपोर्ट बिल्कुल गलत व राजनैतिक तोर से दवाब वंश पेश की गई है।
8. रेस्पो0 स0 2 के द्वारा पुलिस के माध्यम से एक गरीब खेतीहर आदमी की खड़ी फसल में से रास्ता खुलवाने के आदेश पारित किये गये है। जबकि उसकी फसल काश्त है अगर ऐसी सूरत से रास्ता जो कि ना तो कभी मंजूर था तथा ना ही कभी चालु था।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

अतः अपील अपीलांट पेश करके निवेदन है कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.08.2018 को निरस्त फरमाया जावें।

2/3

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट एवं रिकार्ड की तलबी की गई। रिकार्ड प्राप्त हुआ। बहस अधिवक्ता सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मिमो के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलांट ने रेस्पो0 स0 1 को उक्त भूमि दान मे दी थी तथा उसके उक्त रकबे पर आवागमन ही नही था बावजूद इसक रेस्पो0 स0 2 ने अपीलांट की भूमि में से रास्ता स्वीकृत के आदेश पारित किये है जो कानुन गलत व विधि के सिद्धान्तों के विपरित है। रेस्पो0 स0 2 को रास्ता स्वीकृत के अधिकार ही नहीं है उन्होने अपने क्षेत्राधिकार से विपरित आदेश जारी किया है। जबकि वहा कोई रास्ता स्वीकृत नही था।

बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। तहसीलदार नोहर के पत्रांक दिनांक 02.08.2018 में प0म0 सोनड़ी के ख.न. 787/3 में जाने के लिए सदामत का रास्ता जो खसरा न0 786 में से होकर पिछले काफी वर्षो से चल रहा था अब देवीलाल पुत्र तुलछाराम जाति जाट निवासी सोनड़ी ने अवरूद्ध कर रखा है। तहसीलदार नोहर द्वारा दिनांक 21.07.2018 को मौका देखा गया अन्यत्र कोई रास्ता नही है। तहसीलदार द्वारा किया गया आदेश विधि सम्मत प्रतित होता है। अपील अपीलांट स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण खारीज कि जाती है।

अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति लौटाया जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 16.07.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। शामिल मिसल रहें।

(डॉ. गुंजन सोनी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर(हनुमानगढ़)

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)